(186)

संख्याः 48 /XXIV(6)/2012

प्रेषक,

मनीषा पंवार,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन ।

सेवा में,

कुलसचिव/वित्त अधिकारी,
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय,
हल्द्वानी ।

शिक्षा अनुभाग–6 (उच्च शिक्षा) देहरादून दिनांकः 24 अप्रैल, 2012

विषय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2012–13 के प्रथम चार माह (दिनांक 01, अप्रेल 2012 से 31, जुलाई 2012 तक) हेतु पारित लेखानुदान आय–व्ययक के आयोजनेत्तर पक्ष में प्राविधानित धनराशि अवमुक्त किए जाने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अपर मुख्य सचिव, वित्त अनुभाग–1, उत्तराखण्ड शासन के द्वारा निर्गत शासनादेश संख्याः 193/XXVII(1)/2012 दिनांकः 30.3.2012 के क्रम में एवं वित्तीय वर्ष 2012–13 के लेखानुदान (1,अप्रेल 2012 से 31,जुलाई 2012 तक) की वित्तीय स्वीकृतियॉ बचन–बद्ध मदों मे उच्च शिक्षा विभाग से अनुदान संख्या–11 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय हल्द्वानी के कार्मिकों को वेतन–भत्ते आदि भुगतान हेतु आयोजनेत्तर् पक्ष में **₹ 66,67,000 (₹ छियासठ लाख सरसठ हजार मात्र)** की धनराशि निम्नांकित प्रतिबन्धों के अधीन निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं ।

(1) स्वीकृत धनराशि का आहरण यथा आवश्यकतानुसार मासिक व्यय की सारिणी बनाकर किश्तों में किया जायेगा । इस अनुदान के बिल पर निदेशक, उच्च शिक्षा निदेशालय, हल्द्वानी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किए जायेंगें ।

(2) विश्वविद्यालय के वित्त अधिकारी द्वारा स्वीकृत धनराशि का आहरण तभी किया जायेगा, जबकि गत् वित्तीय वर्ष/वर्तमान वित्तीय वर्ष में स्वीकृत धनराशि का नियमानुसार उपभोग कर लिया गया हो तथा कोई भी धनराशि अवशेष न हो ।

(3) **स्वीकृत धनराशि का व्यय केवल वेतन, महंगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते जो वेतन के साथ अनुमन्य हों, हेतु ही भुगतान किया जायेगा ।** अन्य मदों में व्यय हेतु फांट स्वीकृत हो जाने के उपरान्त ही व्यय किया जायेगा। अतिरिक्त अनुदान की प्रत्याशा में अनाधिकृत व्यय नहीं किया जायेगा ।

(4) जिन कार्मिकों ने राजकीय दर पर पेंशन का विकल्प दिया है, उनके जीपीएफ की धनराशि उनके वेतन से काटकर राजकीय कोषागार में नियमित रूप से जमा कराया जाये, उसे अन्यत्र जमा न किया जाये ।

क्रमशः पृष्ठ–2

(5) इस अनुदान का उपयोग अनुमोदित पदों, मदों पर ही किया जायेगा । अस्थायी रूप से इसका कोई भी भाग अन्य अनानुमोदित पदों, अवकाश नगदीकरण, चिकित्सा भत्ता, सवारी भत्ता, मानदेय कार्यो एवं दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के वेतन आदि पर व्यय नहीं किया जायेगा तथा स्वीकृत धनराशि का व्ययावर्तन किसी भी दशा में मान्य नहीं होगा ।

(6) उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय करने के लिए शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत मितव्यतता सम्बन्धी शासनादेशों का पूर्ण रूप से पालन किया जाना होगा ।

(7) स्वीकृत धनराशि के उपभोग के सम्बन्ध में शासन द्वारा निर्गत समस्त शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा धनराशि का व्यय कर उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध कराया जायेगा एवं अतिरिक्त अनुदान की प्रत्याशा में धनराशि का व्यय नहीं किया जायेगा ।

(8) सुसंगत मानक मद में नैट के माध्यम से बजट आंबटन विवरण पत्र की प्रति संलग्न है।

2– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2012–13 के आय–व्ययक के अनुदान संख्याः 11 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 2202–सामान्य शिक्षा–03–विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा–102 विश्वविद्यालयों को सहायता–आयोजनेत्तर–07–राज्य मुक्त विश्वविद्यालय – 43–वेतन–भत्ते आदि के लिये सहायक अनुदान के नामे डाला जायेगा ।

3– यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या –193/XXVII(1)/2012 दिनांकः 30.3.2012 में प्राप्त निर्देशों के क्रम में जारी किये जा रहे है।

संलग्नक : यथोपरि ।

भवदीया,

(मनीषा पंवार)
सचिव।

पृष्ठांकन संख्या : 48 /XXIV(6)/2012 दिनांकित :

प्रतिलिपि निम्नलिखित् को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून
2. आयुक्त, कुमांयू मण्डल, नैनीताल
3. जिलाधिकारी, नैनीताल ।
4. कोषाधिकारी, हल्द्वानी।
5. निदेशक, उच्च शिक्षा, हल्द्वानी ।
6. निदेशक, एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड ।
7. वित्त अनुभाग–3, उत्तराखण्ड शासन ।
8. बजट राजकोषीय, नियोजन एवं संसाधन सचिवालय, देहरादून ।
9. विभागीय आदेश पुस्तिका ।

आज्ञा से,

(डा0निधि पाण्डेय)
अपर सचिव ।

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष - 20122013

Secretary, Higher Education (S018)

आवंटन पत्र संख्या - 48 /xxiv(6)/2012

अनुदान संख्या - 011

अलोटमेंट आई डी - S1204110683

आवंटन पत्र दिनांक - 24-Apr-2012

लेखा शीर्षक - 2202 - सामान्य शिक्षा
102 - विश्वविद्यालयों को सहाय
00 - राज्य मुक्त विश्विदयालय

03 - विश्वविद्यालय तथा उच्च
07 - राज्य मुक्त विश्वविद्यालय

HOD Name - Vice Chancellor Open University (4574)

Non Plan Voted

मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	योग
43 - वेतन भत्ते आदि के लिये सहाय	0	6667000	6667000
	0	**6667000**	**6667000**

(वेदीराम)
अनु सचिव,
राज्य सामग्री विभाग,
राजस्थान, जयपुर